

&gt;

Title: Regarding fixing appropriate Obstacle Clearance Altitude at Mumbai Airport to facilitate construction of houses under PMAY in the vicinity of the Airport-laid.

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर):** माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु मुंबई हवाई अड्डा ड्राफ्ट आरएनई एआर रनवे 32 सीमाओं पर ओसीए सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। यहां पर जमीन क्षेत्र जहां आरएनपी एआर रनवे 32 की सीमा मौजूद है, जहां एक लाख से अधिक परिवार मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, जिनकी बहुत खराब स्थिति है। कई हितधारक यहां पर माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्ती आवास योजना को लागू करना चाहते हैं, लेकिन आरएनपी एआर सीमा के कारण लगाई गई ऊंचाई की प्रतिबंध की वजह से वे इस योजना को लागू नहीं कर पा रहे हैं।

इस संबंध में, मैं सरकार का ध्यान नागर विमानन मंत्रालय के ऑर्डर नं. एवी-24032/111/2020-एएव/एमओसीए(191527), दिनांक 17 फरवरी, 2020 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें हवाई अड्डों के आसपास के शहरों के विकास के साथ-साथ नीति और विनियमों की सुरक्षा करने वाले हवाई अड्डों की जांच करने के लिए समिति का गठन करके 45 दिनों की समयावधि में रिपोर्ट सबमिट किए जाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, दुख है कि अब तक इस समिति का गठन ही नहीं हो पाया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उपरोक्त समिति का तत्काल गठन करके विमान संचालन की सुरक्षा से समझौता किए बगैर एआर एपीसीएच सुरक्षा सतह के अंदर मौजूदा संरचना ऊंचाई आईसीएओ 9905 के अनुसार उपयुक्त उच्च ओसीए की स्थापना के बारे में पुनर्विचार किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।